न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः– उम्मेदी लाल मीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या 10 वर्ष 2026

मनोज कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 12, मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राजस्थान
–अपीलान्ट

बनाम

1. विद्या पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. (प.ह. डबली खुर्द) ग्राम पंचायत मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राजस्थान
2. निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ राजस्थान
–रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.02.2026 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी जिसके द्वारा अपीलान्ट द्वारा नियम 13 (3) राज पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत किया गया आक्षेप नियम 14 के तहत खारिज किया गया अपील बाबत् आक्षेप स्वीकार किये जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थित :–

1. श्री देवदत्त भिडासरा , अभिभाषक अपीलान्ट।
2. श्री राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 ।
3. श्री राजेश दीप राय रेस्पो0 सं0 1 ।

निर्णय

दिनांक 17.03.2026

प्रस्तुत अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत मेहरवाला के वार्ड नम्बर 12 का स्थायी निवासी है अपीलान्ट का नाम ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर 12 में मतदाता सुची .स. 319 पर दर्ज है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विद्या पत्नी महेन्द का मतदाता सूची ग्राम पंचायत मेहरवाला के वार्ड नम्बर 12 की मतदाता सुची क.स. 220 पर प्रारूप संख्या 2 में ग्राम पंचायत मेहरवाला की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मलित किये जाने पर पदाभिहित अधिकारी (प्रगणक) के समक्ष नाम विलोपित किये जाने हेतू आक्षेप आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा दिये गये आक्षैप पर ग्राम पंचायत मेहरवाला के भाग संख्या 32 के प्रगणक से रिपोर्ट ली गयी रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विद्या को स्थायी रूप से ग्राम पंचायत मेहरवाला के वार्ड नम्बर 12 में स्थायी रूप से रहती व आक्षेप पर प्रगणक की जांच के पश्चात सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी (उपतहसीलदार) तलवाड़ा झील की जांच रिपोर्ट करवायी व दिनांक 13.02. 2026 को प्रस्तुत रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विद्या व उसके परिवार के सदस्यों के वोट वार्ड संख्या 08 ग्राम पंचायत मेहरवाला में होने बताये उक्त जाचं रिपोर्ट के पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी ने निर्णय दिनांक 14.02.2026 के द्वारा अपीलान्ट का आक्षेप प्रारूप संख्या–02 खारिज कर दिया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2026 पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों की बिना कोई जाच किये मनमाने रूप से पारित किया गया होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट ने अपने आक्षेप पत्र में यह स्पष्ट कथन किया था कि रेस्पोडेंट संख्या 01 विद्या चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. गावं डबलीखुर्द के ग्राम पंचायत मसीतांवाली में स्थायी रूप से निवास करता है इस संबंध में अपीलान्ट को सुनवाई के समय प्रशासक ग्राम पंचायत मंसीतावाली द्वारा जारी निवास पत्र प्रस्तुत किया जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 01 विद्या व उसके परिवार के कुल 22 सदस्य अपनी कृषि भूमि चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. में गत 20 वर्षों से ढाणी बनाकर निवास कर रहे है, परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दिनाक 14.02.2026 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय उक्त दस्तावेजों की कोई विवेचना नहीं की इसलिए आदेश दिनांक 14.02.2026 खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 01 विद्या का मतदाता सुची ग्राम पंचायत मेहरवाला की निर्वाचन नामावली दिनांक 06.02.2026 को पदाभिहित अधिकारी (प्रगणक) के समक्ष प्रारूप 02 में मत विलोपित करने हेतू आवेदन किया था उक्त आक्षेप पत्र की जाचं रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन है कि वार्ड नम्बर 12 में जो मकान है वह क्षतिग्रस्त है पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी द्वारा उक्त रिपोर्ट को बिना देखे मनमाने रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत की मतदाता सुची में दर्ज कुल 22 मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत मेहरवाला से हटाने बाबत आपत्ति की थी उक्त आक्षेप पर पदाभिहित् अधिकारी (प्रगणक) ने दिनांक 06.02.2026 को ही

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

रिपोर्ट की थी कि वोटर अपने पुस्तैनी मकान में उपस्थित मिला इनका मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण अस्थायी रूप से चक 3 एम.एस.टी.एस.एम (डबलीखुर्द) में रहते है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आक्षेप की जाचं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी में जाचं करवायी गयी जिसमें रिपोर्ट दिनांक 13.02.2026 में चक 3 एम.एस. टी.एस.एम. में तीन–चार ढाणी बनी होना व निवास ग्राम पंचायत मेहरवाला के वार्ड नम्बर 08 में होना बताया है प्रगणक व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी की रिपोर्ट में विरोधाभाष है परन्तु निर्णय दिनांक 14.02.2026 में उक्त तथ्यों की कोई जांच नहीं की गयी। अपीलान्ट ने एक ही परिवार के कुल 22 सदस्यों के वोटों पर आपत्ति प्रस्तुत की उक्त सभी मतदाता चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. में ढाणी में रह रहे है। इस हेतू प्रशासक ग्राम पंचायत मसीतांवाली ने उनके वोट ग्राम पंचायत मसीतांवाली में बनवाने हेतू निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भी पत्र लिखा था जांच रिपोर्ट में सभी मतदाता एक ही मकान ग्राम मेहरवाला में रहना बताया परन्तु उक्त रिपोर्ट में मकान क्षतिग्रस्त होना बताया है व केवल मात्र एक ही मकान होना बताया है एक क्षतिग्रस्त मकान में इतने व्यक्ति एक साथ में रह सकते है इस तथ्य की कोई जाचं किये बिना ही मौका रिपोर्ट गलत प्रस्तुत की है मौका जांच से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुचना नहीं दी गयी। लिहाजा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2026 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का आक्षेप स्वीकार कर मतदाता विद्यापुत्र अभयराम का वोट ग्राम पंचायत मेहरवाला की मतदाता सुची से हटाया जावे।

चुनाव अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री राजेश दीप राय अभिभाषक ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट सं0 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2026 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट का आक्षेप स्वीकार कर मतदाता विद्या पत्नी महेन्द्र का वोट ग्राम पंचायत मेहरवाला की मतदाता सुची से हटाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया की प्रार्थीया विद्या का वोट गांव मेहरवाला का विवाह के बाद से ही बना हुआ है। प्रार्थीया के समस्त पहचान संबंधी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड आदि में दर्ज पता ग्राम पंचायत मेहरवाला है। प्रार्थीया के डाक इसी पते पर प्राप्त हो रहे है। अपीलांट द्वारा केवल मिन प्रत्यर्थीगण को तंग व परेशान करने के आशय से अपील प्रस्तुत कि है। अतः निवेदन किया की अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथन को दोहराते हुए कथन किया की बिन्दू सं० 2(क) अस्वीकार है कि कार्यालय हाजा द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य/सबूतों, जांच रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रगणक के समक्ष प्रस्तुत किये गये आक्षेप प्ररूप 02 जो कि प्रगणक से रिपोर्ट/टिप्पणी सहित ईआरओ (पंचायत) एसडीएम टिब्बी कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रगणक से उक्त टिप्पणी सहित आवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्ररूप में अंकित आक्षेपकर्ता श्री मनोज कुमार व आक्षेपित मतदाता विद्या को क्रमशः प्ररूप 13 व प्ररूप 14(1) में नोटिस जारी किया गया जिसमें सुनवाई की तारीख 12.02.2026 निर्धारित थी। उक्तानुसार सुनवाई दिवस पर आक्षेपकर्ता व आक्षेपित मतदाता दोनो उपस्थित आए व अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये। तदुपरांत आक्षेपित मतदाता के घर का भौतिक सत्यापन करने/जांच हेतु कमेटी गठित की गई। अतः कमेटी जांच रिपोर्ट उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य / सबूतों के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसलिए अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि बिना जांच किये मनमाने रूप से निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दू सं० 02 (ख) अस्वीकार है आक्षेपकर्ता द्वारा आक्षेपित मतदाता विद्या का मत विलोपित करवाने बाबत् प्ररूप 02 प्रगणक से प्राप्त होने के उपरांत दोनो पक्षों यथा आक्षेपकर्ता मनोज कुमार व आक्षेपित मतदाता विद्या को क्रमशः प्ररूप 13 में प्ररूप 14(1) में नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिसमें आक्षेपकर्ता व आक्षेपित मतदाता दोनो उपस्थित आए व अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आक्षेपित मतदाता के निवास स्थान /घर का भौतिक सत्यापन हेतू कमेटी से जांच करवाई गई। अतः यह अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील बिन्दू सं० 02(ख) में अंकित यह कथन कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया गया है, जो कि सही नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दू सं० 2(ग) प्ररूप 2 में अंकित प्रगणक (पदाभिहित अधिकारी) की टिप्पणी के अवलोकन किये जाने के साथ–साथ निर्वाचन प्रक्रिया 2 के विरूद्ध दोनो पक्षों अर्थात आक्षेपकर्ता व आक्षेपित को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रदान किया जाता है। अतः प्रगणक द्वारा प्ररूप 02 में अंकित टिप्पणी के अतिरिक्त निर्वाचन नियमों के तहत् उक्तानुसार दोनो पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई दिवस दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों सबूतों का भी अवलोकन किया गया है। इसके अतिरिक्त आक्षेपित मतदाता के निवास स्थान / घर का भौतिक सत्यापन / जांच करवाने हेतु कमेटी का गठन कर कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया है। इस प्रकार प्रगणक टिप्पणी, सुनवाई दिवस पर प्राप्त साक्ष्यों/प्रस्तुत दरतावेजों गठित कमेटी की रिपोर्ट का विवेचन कर ही उचित रूप से निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दू सं0 2 (घ) आक्षेपित मतदाता विद्या का मत विलोपन हेतु प्रस्तुत किये गये प्ररूप 02 में प्रगणक रिपोर्ट में कहीं अंकन नहीं है कि अस्थायी रूप से चक 03 एमएसटीएसएम में रहते है. कथन अस्वीकार है। एईआरओ एवं नायब तहसीलदार तलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट / कमेटी रिपोर्ट में वह अंकन है कि चक 03 एमएसटीएसएम में तीन चार ढाणी बनी हुई है। उक्त के साथ साथ रिपोर्ट में यह भी अंकन है कि उक्त ढाणियों में खेती संबंधी यंत्र रखे हुए है। मौका निरीक्षण दौरान उक्त ढाणियों में ताले लगे हुये मिले व कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के बिन्दू सं० 02 (ङ) के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट में उक्त बिन्दू अनुसार ऐसा कही अंकन नहीं है कि सभी मतदाता एक ही मकान ग्राम मेहरवाला में रहना बताया जबकि मौका रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि मौके पर उक्त मतदाता पुश्तैनी मकान पर उपस्थित मिले और उन्होने दावा किया की वहीं निवास करते है तथा अपने पहचान संबंधी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड आदि प्रस्तुत किये जिसमें उनका दर्ज पता ग्राम पंचायत मेहरवाला है। रिपोर्ट में उक्त मतदाताओं के मत वर्षो से ग्राम पंचायत मेहरवाला में बने हुए बताये है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत नियम–21 राजस्थान पंचायत नियम 1994 अपील नं. 10/2026 मनोज कुमार बनाम विद्या आदि प्रकरण में पूर्णरूपेन सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं प्राप्त साक्ष्य / सबूतों व गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरांत ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन किया गया।

1. अपीलान्ट द्वारा नियम 13(3) राज पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत किया गया आक्षेप अधीनस्थ न्यायलय द्वारा नियम 14 के तहत दिनांक 14.02.2026 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों जिसमें राशनकार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड आदि के आधार पर साबित होता है की रेस्पोडेंट मेहरवाला के निवासी है।
2. अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के चक 3 एम.एस.टी.एस.एम. गांव डबलीखुर्द ग्राम पंचायत मंसीतावाली ढाणीयां निर्मित होने का कथन किया है, इस सम्बध में रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम पंचायत मसीतावांली के कृषि भूमि पर कार्य करने/सामान रखने आदि के लिए निमार्ण कार्य कर भी लिया है तो भी दस्तावेजी साक्ष्यों पर वरीयता नहीं दी जा सकती।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उमेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ